

न्यायालय मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, अरवल।

जी० आर० नं०- 52/2025

अरवल थाना काण्ड संख्या 593/2023

05.02.2025 वाद पुकारा गया। प्रस्तुत मामले में कार्यालय के द्वारा आज मामले में दिनांक 15.01.25 को प्रस्तुत आरोप पत्र को प्रस्तुत किया गया। प्रस्तुत आरोप पत्र अभियुक्तगण 1.बिरेन्द्र कुमार 2. मन्दू कुमार 3.सतेन्द्र सिंह उर्फ पंडित जी 4.रवि कुमार 5.बबलू कुमार 6.गुड्डु कुमार 7.लव कुश उर्फ लव कुमार 8.बिटू कुमार 9.अभिषेक कुमार 10.रामजी उर्फ सिन्दु कुमार विरुद्ध भा० द० वि० की धारा- 147,148,149,341,323,504,354 तथा आयुध अधिनियम की धारा-27 के अंतर्गत आरोप पत्र संख्या 407/24 दिनांक 15.01.25 समर्पित किया गया है। प्रस्तुत मामले में अभिलेख का अवलोकन किया। मामले में प्रथम सूचना प्रतिवेदन, आरोप पत्र, कांड दैनिकी के पैरा- 1, 2, 4, 5, 6, 11, 20, 21, 22, 33, 34, 35, 44, 49, 51, 56, 75, 80, 102, 104, का अवलोकन किया। समस्त तथ्यों के आलोक में न्यायालय आरोप पत्र में वर्णित अभियुक्तगण 1. बिरेन्द्र कुमार 2.मन्दू कुमार 3.सतेन्द्र सिंह उर्फ पंडित जी 4.रवि कुमार 5.बबलू कुमार 6.गुड्डु कुमार 7.लव कुश उर्फ लव कुमार 8.बिटू कुमार 9.अभिषेक कुमार 10.रामजी उर्फ सिन्दु कुमार विरुद्ध भा० द० वि० की धारा- 147,148,341,323,504,354/149, तथा आयुध अधिनियम की धारा-27 में प्रथम दृष्टया कार्रवाई करने का आधार पाती है। अतः अभियुक्तगण 1.बिरेन्द्र कुमार 2.मन्दू कुमार 3.सतेन्द्र सिंह उर्फ पंडित जी 4.रवि कुमार 5.बबलू कुमार 6.गुड्डु कुमार 7. लव कुश उर्फ लव कुमार 8.बिटू कुमार 9.अभिषेक कुमार 10.रामजी उर्फ सिन्दु कुमार विरुद्ध भा० द० वि० की धारा- 147,148,341,323,504,354/149, तथा आयुध अधिनियम की धारा-27 में संज्ञान लिया जाता है। अभिलेख को निजी संचिका में रखा जाता है। कार्यालय अभियुक्तगण के विरुद्ध समन निर्गत करे।

वाद दिनांक-23/2/25 चास्ते उपस्थिति।

लेखापित,

MANU K
(मनीष कुमार पाण्डेय) 05-2-25
(जे० ओ० कोड बी० आर० 00961)
मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी,
अरवल।